



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23607-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1474/2026

प्रेमलता राघवयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : पार्थ शर्मा, सैयद इरफान अली

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है :-

"A. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 (पुलिस अधीक्षक, हाथरस) को दिनांक 07.01.2026 के प्रत्यावेदन (संलग्नक संख्या 5) को तय करने का निर्देश दिया जाए।

B. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को मामले में निष्पक्ष और उचित विवेचना करने और दिनांक 24.09.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या 416/2025, धारा 303(2), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना- सिकंदराराऊ, जनपद- हाथरस के रूप में पंजीकृत है, के अनुक्रम में जल्द से जल्द पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

C. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

D. याची को खर्च प्रदान किया जाए।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 24.09.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याची प्रत्यर्थी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, हाथरस के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकती है और यदि याची द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, हाथरस वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

के.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"